राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– F2(8)/Comp./ST-142/ 85 दिनांक :– 10/5/16

परिपत्र

सेवाकर नियमों के अनुसार अगर आवास का कारपेट क्षेत्र 2000 वर्ग फीट से कम एवं उसका विक्रय मूल्य एक करोड़ रूपये से कम है तो प्राप्त राशियों में से 25 प्रतिशत राशि को ही सेवाकर के दायरें में (Abated Value) माना गया है एवं अन्य परिस्थितियों में प्राप्त राशियों में से 25 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत (Abated Value) माना गया है। इस Abated Value पर प्रचलित निर्धारित दर से सेवाकर/स्वच्छ भारत सेस वसूलनीय था।

सेवाकर नोटिफिकेशन नम्बर 26/2012 ST क्रम संख्या 12 पर किये गये संशोधन के अनुसार Abatement में एकरूपता लाते हुए दिनांक 01.04.2016 से आवास के विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त राशियों पर 30 प्रतिशत राशि को सेवाकर दायरे में (Abated Value) माना गया है। अतः इस Abated Value पर वर्तमान में 14 प्रतिशत की दर से सेवाकर एवं 0.50 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत सेस वसूलनीय है।

उदाहरणतः अगर आवास के विक्रय मूल्य के रूप में एक लाख रूपये जमा कराये जाते है तो एक लाख रूपये का 30 प्रतिशत अर्थात 30,000/– रूपये पर 14 प्रतिशत की दर से 4200/– रूपये सेवाकर एवं 0.50 प्रतिशत की दर से रू. 150/– स्वच्छ भारत सेस के रूप में कुल राशि रू. 4350/– वसूलनीय है। अतः सरलीकरण की दृष्टि से कुल जमा राशि पर 4.20 प्रतिशत की दर से सेवाकर एवं 0.15 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत सेस (कुल 4.35 प्रतिशत की दर से) कुल राशि 4350/– वसूल की जा सकती है।

उक्त नोटिफिकेशन में किया गया संशोधन दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी है।

sd/
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य अभियन्ता–प्रथम, द्वितीय एवं मुख्यालय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
2. समस्त अति. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त ....
4. समस्त आवासीय अभियन्ता/समस्त सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित के ई–मेल एवं बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (संकलन)